आरक्षण मंच के बैनर तले एकजुट हुए समाज ने कहा अब निकलेगी राह

बांसवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले कोटे में कोटा के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करवाने के लिये विभिन्न राजनैतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के साथ ही जनप्रतिनिधि एकजुट होते नजर आए। कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से रगड़ा मिटेगा और संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। पूर्व केबिनेट मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया ने कहा कि वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि सरकार को करना सिर्फ इतना है कि प्रशासनिक सेवाओं को छोड़ते हुए की जगह जोड़ते हुए शब्द लिखना है इसमें अलग से कोई प्रावधान करने की जरुरत नहीं है।

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए क्योंकि इससे एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा और कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। एक तो भ्रान्ति होती है और दूसरी डाली जाती है क्रिमीलेयर के संबंध में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे लागू नहीं किया जायेगा और होगा तो भी आईएएस, आईपीएस जैसे पदों के लिये। ऐसे में यहां के नौकरीशुदा लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

चिकित्सा सेवाओं में आरक्षण हुआ तो हजार से अधिक चिकित्सक बन गये हैं। इसी तरह यदि प्रशासनिक सेवाओं में भी आरक्षण लागू होगा तो यहां के युवा प्रशासनिक अधिकारी बन सकेंगे। पूर्व राज्यमंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि किसी भी निर्णय को लागू करवाने में राजनेताओं की अहम भूमिका होती है ऐसे में मुख्यमंत्री तक मालवीया के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों की भावनाएं पहुंचायी जायेगी। 1983 में महेन्द्रजीत सिंह मालवीया ने इसकी शुरुआत की थी। आदिवासी आरक्षण मंच केन्द्रीय कमेटी के कमलकांत कटारा ने बताया कि क्षेत्र के कद्दावर नेता भीखाभाई ने भी इस संबंध में पत्र लिखा था क्योंकि दक्षिणी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां विषम है। आरक्षण मंच के बैनर तले समाज का एकजुट होना इस क्षेत्र के युवाओं के लिये मील का पत्थर साबित होगा। प्रो. मणिलाल गरासिया, जिला परिषद् सदस्य राजेश कटारा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किये। पत्रकार वार्ता में पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, प्रधान बलवीर रावत, कानहेंग रावत, निर्मला मकवाना, बागीदौरा प्रधान सुभाष खरादी, सुभाष तंबोलिया, थापड़ा सरपंच रमेश पटेल, रोहनवाड़ी सरपंच दौलतराम बारिया, बांसला सरपंच दिलीप डामोर, राखो सरपंच नानूलाल डामोर, प्रतापगढ़ जिला संयोजक एडवोकेट गणेशलाल निनामा, गोपाल निनामा, घंटाली सरपंच कचरूलाल निनामा, एडवोकेट सतीश, राजेंद्र पटेल, बलवंत मछार, अरविंद सीता डामोर, कांतिलाल आहारी, केसर सिंह डामोर, प्रकाश मीणा, राकेश पारगी, मोहनलाल कटारा, धनपाल डामोर, विनोद पटेल, मुकेश कटारा सहित अनेक प्रबुद्धजन मौजूद रहे। वक्ताओं ने 24 नवंबर को होने वाली महारैली को सफल बनाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने क्षेत्र के कद्दावर नेता महेन्द्रजीत सिंह मालवीया को मुख्यमंत्री से बातचीत के लिये अधिकृत किया है।

बांसवाड़ा। आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं युवा संगठनों के प्रतिनिधि प्रदेश स्तरीय महारैली को सफल बनाने का संकल्प लेते। - चिराग श्रीमाल

गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित

जयपुर (कासं)। भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम अन्य खरीद एजेंसियों के साथ मिलकर गेहूँ की अधिकाधिक खरीद करने हेतु तत्पर है। खरीद हेतु पंजीकरण जनवरी से शुरू हो रहे है तथा खरीद प्रक्रिया मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी। किसानों को खरीदी की गई गेहूँ का भुगतान 48 घंटो के भीतर सीधे उनके जन आधार से लिंक बैंक खाते मे कर दिया जाएगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु पर्याप्त सरकारी खरीद केंद्र खोले जा रहे है जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय खाद्य निगम ने प्रदेश के सभी किसानों से अधिकाधिक क्षेत्र में गेहूँ की बुवाई करने तथा पंजीकरण में असुविधा से बचने के लिए जन आधार एवं बैंक खाते को अद्यतन करवाने की अपील की है जिससे किसानों को समर्थन मूल्य का पूर्ण लाभ मिल सकें।

खाटू श्याम जी मंदिर मार्ग पर भारी भीड़ को देखते हुए निगम ने किया अतिरिक्त डेढ़ सौ बसों का संचालन

जयपुर (कासं)। जन-जन की आस्था के केंद्र खाटू श्याम जी मंदिर में एकादशी मेले की भारी भीड़ को देखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने मंगलवार को सिंधी कैंप बस स्टैंड से 150 अतिरिक्त बसों का संचालन कर यात्रियों को भारी राहत पहुंचाई। निगम अध्यक्ष श्रीमती शुभा सिंह ने बताया कि मंगलवार को खाटू श्याम जी मार्ग पर अत्यधिक यात्री भार को देखते हुए निगम द्वारा सिंधी कैंप बस स्टैंड से नियमित बस सेवा के साथ लगभग डेढ़ सौ बसों का संचालन किया गया। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर शेड्यूल की बसों के अलावा यात्री भार के अनुरूप अनुसार अतिरिक्त बसों का संचालन कर यात्रियों को गंतव्य तक रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जी मार्ग पर यात्री भार बढ़ने पर निगम और अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा।

मोही से पांडोलाई मार्ग की हालत खस्ता

राजसमन्द (प्रासं)। समीपवर्ती मोही कस्बे के राजस्व गांव पाडोलाई में मोही से जाने वाला सड़क मार्ग काफी क्षतिग्रस्त होने से आने-जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार गांव में मार्बल मशीनों में ओवरलोड वाहनों के चलने से तथा बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्राली व डंपर के बार-बार निकलने से सड़क जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कहीं-कहीं आधे से 1 फीट तक सड़क पर खड्डे पड़ गए हैं जिससे आने जाने वाले दो पहिया वाहन के चालक चोटिल हो जाते हैं तो कभी-कभी बड़े वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मोही से पांडोलाई जाने के लिए करीब 600 मीटर सड़क मार्ग पर जगह-जगह पर हो गए बड़े-बड़े खड्डे राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। यहां के बाशिंदों ने जिला प्रशासन से मोही से पांडोलाई मार्ग को सही करने की मांग की है।

मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद अतिशीघ्र शुरू करने की मांग

निंबाहेड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। राजस्थान सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अपने लिखे पत्र में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करते हुए बताया कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंगफ्ली की खरीद मूल्य 6783 रू / प्रति क्विंटल एमएसपी घोषित की हुई है परंतु लचर व्यवस्थाओं की वजह से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र शुरू नहीं होने से अभी तक राजस्थान में एमएसपी पर मूंगफ्ली की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। जिससे किसानों में निराशा एवं रोष व्याप्त है। आंजना ने अपने लिखे पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को यह भी अवगत करवाया और संज्ञान में लाना है कि चुकी वर्तमान में त्यौहारी एवं लग्न,सावों का समय चल रहा है,परन्तु समर्थन मूल्य पर मूंगफ्ली की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को अपना माल खुली मंडियों में 4500 रू, से 5200 रू, प्रति क्विंटल में ही बेचना पड़ रहा है। प्रदेश में मूंगफ्ली की औसत पैदावार प्रति बीघा 7 से 9 क्विंटल तक होती है, इसलिए उपज का सही दाम ना मिलने से किसानों को प्रति रू बीघा 10000-15000 रूपए का नुकसान हो रहा है जिससे प्रदेश के किसानों में भारी रोष एवं निराशा व्याप्त है। यह किसानों के साथ अन्याय है जिसे सम्भवत: आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंजना ने मुख्यमंत्री को पत्र के द्वारा जानकारी मे यह भी लाया गया कि चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिलों में इस वर्ष मुंगफ्ली का रकबा पिछले वर्षों से ज्यादा है तथा समर्थन मूल्य के कारण ही रकबा (मुंगफ्ली) बढ़ा है। आंजना ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आगामी दिनों में जल्द से जल्द प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंगफ्लली की खरीद शुरू करावे,ताकि मंडियों में किसानों के साथ हो रही लूट पर लगाम लगाई जा सके,साथ ही किसानों को अपनी उपज का सही दाम समय पर मिल सके।

जिला कलक्टर ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक

चित्तौड़गढ़ (प्रातःकाल संवाददाता)। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने जिला परिषद् सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं, डीएमएफटी के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभागीय घोषणाओं-योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने, नियमित निरीक्षण करने, आपस में समन्वय स्थापित कर सुधारात्मक रवैया के साथ कार्य करने सहित आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला कलक्टर ने बजट घोषणाओं के अंतर्गत कार्यों को शीघ्र पूरा करने हेतु भूमि आवंटन सहित आवश्यक कार्यवाही करने, मां बाउचर योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने, गौशालाओं को समय पर भुगतान करने, खाली पड़े विद्यालयों की सूची भिजवाने के निर्देश देते हुए रसद अधिकारी से ऐसे लोगों की सूची भिजवाने को कहा जिनका राशन आधार सीडिंग और केवाईसी के अभाव में बंद हो गया है। उन्होंने शिक्षा विभाग को मिड डे मील में कार्यरत कार्मिकों को समय पर भुगतान करवाने एवं विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, नगर परिषद को शहर में स्वच्छता बनाए रखने एवं अतिक्रमण पर कार्यवाही करने के साथ ही कृषि विभाग से खाद की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने ई फाइल पर कार्य करने एवं संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने एंव कार्यालयों में साफ सफाई और सामान्य व्यवस्था बेहतर रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अति कलक्टर प्रभा गौतम, रामचंद्र खटीक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, एसीईओ विशाल सीपा, कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला, डीपीएम राजीविका डॉ महेंद्र मेहता, पीडब्ल्यूडी एसई बी पी सिंह, एसई पीएचईडी सुनीत कुमार, समाज कल्याण विभाग उपनिदेशक अशीन शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद दशोरा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार दिनेश कुमार जागा, विकास अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रकाश कीर का राष्ट्रीय स्तर पर चयन

राजसमन्द (प्रातःकाल संवाददाता)। मोही हरिवंश कीर समाज के प्रतिभा खिलाडी प्रकाश कीर का भारतीय खो-खो महासंघ की ओर से आयोजित राष्ट्रीय जूनियर खो-खो प्रतियोगिता में चयन हुआ है। कीर समाज के होनहार खो-खो खिलाड़ी प्रकाश कीर खटवाड़ा जिला भीलवाड़ा का 4 नवंबर से 6 नवंबर तक राजस्थान खो-खो फेडरेशन अजमेर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर वर्ग खो-खो प्रतियोगिता अनूपगढ़ में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के आधार पर प्रकाश कीर का अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जूनियर खो-खो प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। इस उपलब्धि पर कीर समाज के प्रदेशाध्यक्ष किशनलाल कीर, युवा महासभा चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष धर्मराज कीर,नारूलाल कीर, शांतिलाल कीर सहित अन्य खेल प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया।

जिला कलक्टर की संवेदनशीलता से मिली राहत

गुड्डीदेवी की तीनों बेटियों को मिलेगा पालनहार योजना का लाभ

राजसमन्द (प्रातःकाल संवाददाता)। जिला कलक्टर की संवेदनशीलता से महिला श्रमिक गुड्डीदेवी की तीनों बेटियों को अब पालनहार योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने राजसमंद झील स्थित इरिगेशन पाल पर विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया था, जिसमें एनसीसी, स्काउट, नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न संस्थाओं ने भाग लिया था।

जिला कलक्टर इस अभियान का निरीक्षण कर रहे थे, तभी कुछ सफाईकर्मी श्रमिक महिलाओं के साथ रूककर पाल की सीढ़ियों पर बैठ वे चाय पीते हुए उनकी समस्याओं पर चर्चा करने लगे। इस बीच एक महिला निवासी आसोटिया ने जिला कलेक्टर असावा को बताया कि वह एक विधवा महिला है और विधवा पेंशन भी प्राप्त कर रही है, उसकी तीन बेटियां हैं लेकिन वेरिफिकेशन में आ रही समस्या से अब तक उसकी बच्चियों को पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर जिला कलक्टर ने मौके पर मौजूद नगर परिषद आयुक्त दुर्गेश रावल को कि महिला श्रमिक की तीनों बच्चियों का पालनहार वेरिफिकेशन संबंधी समस्या दूर कर राहत दें ताकि इसे लाभ मिल सकें। नगर परिषद आयुक्त ने भी फॉलो अप करते हुए महिला के तीनों बेटियों का वेरिफिकेशन संबंधी समस्याएं दूर करते हुए कार्य पूर्ण कराया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से समन्वय स्थापित किया। अब इस महिला श्रमिक के तीनों बेटियों को पालनहार योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रति माह प्राप्त होगी। योजना में पात्रता अनुसार दो 6 वर्ष से अधिक उम्र की दो बेटियों को प्रतिमाह 1500 रूपए एवं 6 वर्ष से छोटी एक बेटी को 750 रूपए की सहायता प्राप्त होगी।

उपखण्ड कार्यालय का औचक निरीक्षण

डूंगरपुर (प्रातःकाल संवाददाता)। विधानसभा उप चुनाव-2024 के तहत सामान्य प्रेक्षक श्री के. विवेकानंदन ने उपखण्ड कार्यालय चिखली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामान्य प्रेक्षक श्री के. विवेकानंदन ने उपखण्ड अधिकारी चिखली से बूथ संबंधित चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने चिखली विद्यालय में इको फ्रेंडली बूथ का निरीक्षण किया एवं सीएपीएफ के जवानों एवं पोलिंग पार्टी के अधिकारी और कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सामान्य प्रेक्षक ने चिखली आमली फ्ला बेडुवा में बूथ का निरीक्षण किया और मतदान कर्मियों से बूथ से संबंधित जानकारी ली एवं आसपास मतदाताओं से संवाद भी किया।

खेरोदा रामाखेड़ा रोड पर हो रहा घटिया पेचवर्क

खेरोदा (प्रातःकाल संवाददाता)। कस्बे स्थित खेरोदा रामाखेड़ा संपर्क सड़क का पेंचवर्क का कार्य किया जा रहा है। इसमें घटिया सामग्री का उपयोग कर पेचवर्क किया जा रहा है। कस्बे के ग्रामीण विकास परिषद अध्यक्ष वैध रामेश्वर लाल जनवा एवं सचिव सोहन लाल पाराशर ने बताया कि खेरोदा रामाखेड़ा रोड का निर्माण 2018 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया था जो घटिया सामग्री से कार्य करने पर जल्द ही रोड टूट गया। इस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए एवं मिट्टी नीचे बैठ गई एवं उखड़ गई। इसका ठेकदार द्वारा पेचवर्क का कार्य किया जा रहा है जिसके अंदर भी घटिया सामग्री का उपयोग कर खानापूर्ति किया जा रहा है एवं कई बड़े खड्डों को छोड़ दिया गया एवं रोड की चौड़ाई भी कम कर दी। रोड के ऊपर मिट्टी भी पूरी नहीं डाली जा रही है न ही उसका सही से लेवल लिया गया केवल औपचारिकता पूरी कर पेचवर्क कर रहे हैं।

नगर पालिका आमेट कर्मचारी संघ का गठन वरिष्ठ सहायक बलवंतसिंह अध्यक्ष बने

आमेट (प्रातःकाल संवाददाता)। नगर पालिका कार्यालय आमेट में नगर पालिका कर्मचारी संघ आमेट की बैठक रिछपाल चौधरी राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक व अधिशाषी अधिकारी शंकरलाल रेगर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी नगर परिषद राजसमंद एवं राजस्थान नगर परिषद कर्मचारी संघ राजसमंद के अध्यक्ष किशनलाल प्रजापत की उपस्थिति में हुई। इसमें बलवंतसिंह वरिष्ठ सहायक को अध्यक्ष, नगर पालिका कर्मचारी संघ आमेट गोपाल आराजीवा उपाध्यक्ष, चमनसिंह गहलोत कनिष्ठ सहायक को महामंत्री, कार्यालय मंत्री कोषाध्यक्ष, श्रीपाल पारीक, कनिष्ठ सहायक को संगठन मंत्री व संयुक्त मंत्री, कृष्णकांत शर्मा,कनिष्ठ सहायक को संरक्षक के पद पर नियुक्त किया जाकर समस्त कर्मचारी द्वारा मालार्पण कर रिछपाल गोदारा राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक एवं किशनलाल प्रजापत नगर परिषद कर्मचारी संघ राजसमंद द्वारा उक्त पदाधिकारी को शपथ दिलाई गई।

पश्चिम रेलवे-अहमदाबाद मण्डल
ई-निविदा आमंत्रण सूचना
निविदा आमंत्रण सूचना सं. - DRM-SnT-ADI-Sig 04 of 2024-25; भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए कार्यरत DRM/S ऐंड T **निविदा संख्या DRM-SnT-ADI-Sig 04 of 2024-25** के सामने ई-निविदाएँ आमंत्रित करती है, **समापन तिथि 04.12.2024, 15:00** बोलीदाता केवल समापन तिथि और समय तक ही अपनी मूल / संशोधित बोलियाँ प्रस्तुत कर सकेंगे, इस निविदा के सामने मेन्युअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं है, और प्राप्त किसी भी ऐसे मैन्युअल प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया जाएगा: **(1) कार्य का नाम:** अहमदाबाद मण्डल के थिराद स्टेशन में अडउटडोर S & T कार्य के साथ इलेक्ट्रिनिक इंटरलॉकिंग (E.L) सिस्टम की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, प्रोग्रामिंग, निरिक्षण एवं कमीशनिंग। **(2) कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 8,46,25,341.65/- **(3) बयाना जमा राशि:** ₹ 5,74,100/- **(4) बंद होने की तिथि और समय:** 04.12.2024 को 15:00 बजे के बाद नहीं **(5) निविदा खोलने की तिथि और समय:** 04.12.2024 को 15:30 बजे खुलेंगे **(6) ई-टेंडरिंग की वेबसाइट: www.ireps.gov.in**
हमें लाइक करें facebook.com/WesternRly 232

कार्यालय राजधानी कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर
राजधानी मण्डी प्रांगण, सीकर रोड, जयपुर
क्रमांकः- 1882-88 दिनांकः- 11.11.2024
ई-निविदा सूचना 02/2024-25
राजधानी कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के कार्यालय में कम्प्यूटर संबंधी कार्य हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टल द्वारा ऑन लाईन निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.11.2024 को दोपहर 5.00 बजे तक है। निविदा से सम्बधित विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN NO. DAM2425SLOB01016
राज.संवाद/सी/24/7712 सचिव प्रशासक

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
Arcil Premier ARC
मेसर्स रुक्मणी स्टील से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में स्थापित आर्सिल-एसबीपीएस-I ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करना
आर्सिल कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400 028
वेबसाइटः www.arcil.co.in; CIN-65999MH2002PLC134884

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत शक्तियों के प्रयोग में ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के साथ पठित। आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जो आर्सिल-एसबीपीएस-I ट्रस्ट ("**आर्सिल**") के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है (इंडियाबुल्स एआरसी द्वारा आर्सिल को पंजीकृत असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 29-09-2022 के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति के असाइनमेंट के अनुसार), कब्जा राशि की वसूली के लिए "जहां है जैसा है", "जो कुछ भी है", "बिना किसी सहारे के" ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी, साथ ही आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि के साथ, जैसा कि प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)2002 नियमों के नियम 6, 8 और 9 के साथ पढ़ा जाए।

उधारकर्ता का नाम	स्वमणि स्टील, गली नंबर सी/17, जिंदाजी इंडस्ट्रियल एस्टेट, वालिव, वसई (ई)-401208
गारंटर/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता का नाम	1. श्री जगदीश अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी 2. श्रीमती चंद्रा अग्रवाल 3. श्रीमती प्राची अग्रवाल
बकाया राशि	रु. 4,20,81,268/-(रुपये चार करोड़ बीस लाख इक्यासी हजार दो सौ अड़सठ मात्र) 11 नवंबर, 2024 तक 12.00% प्रति वर्ष की दर से मासिक चक्रवृद्धि ब्याज और 12 नवंबर, 2024 से दंडात्मक ब्याज के साथ-साथ व्यय, अन्य लागत और शुल्क।
कब्जा	भौतिक कब्जा
निरीक्षण की तिथि	**अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी**
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	**रु. 6,50,000/- (भारतीय रुपये छह लाख और पचास हजार मात्र)** बयाना राशि RTGS के माध्यम से "एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में जमा की जानी चाहिए। चालू खाता: 029123200000561, HDFC बैंक लिमिटेड, शाखा: नरीमन पॉइंट, मुंबई, IFSC कोड: HDFC0000029।
बोली और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	18.12.2024 सुबह 11.00 बजे से पहले
आरक्षित मूल्य	रु. 65.00 लाख (भारतीय रुपए पैंसठ लाख मात्र)
बोली में वृद्धि	रु. 25,000/- और ऐसे गुणकों में
ई-नीलामी की तिथि और समय	**18.12.2024 दोपहर 02.00 बजे/दोपहर**
निविदा दस्तावेजों के लिए लिंक	www.arcil.co.in
ARCIL को ज्ञात लंबित मुकदमे	**ज्ञात नहीं**
ARCIL को ज्ञात भार/बकाया	**ज्ञात नहीं**
नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण।	ओपन प्रॉपर्टी ने खसरा नंबर 494 के 511 वर्ग गज की खुली जमीन के साथ 1 कमरा बनाया है, जो यादव नगर, नेहरू नगर के पास, श्री नगर रोड, अजमेर में स्थित है। मालिकः श्री जगदीश अग्रवाल, ओपन प्रॉपर्टी ने खसरा नंबर 494 के 500.39 वर्ग गज की खुली जमीन के साथ 1 कमरा बनाया है, जो यादव नगर, नेहरू नगर के पास, श्री नगर रोड, अजमेर में स्थित है। मालिकः श्रीमती चंद्रा अग्रवाल

नियम एवं शर्तें:-
1. नीलामी बिक्री सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सहायता और ई-नीलामी के माध्यम से की जा रही है। नीलामी/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" के माध्यम से होगी। वेबसाइटः www.arcil.co.in ई-नीलामी के लिए मंच की व्यवस्था करने वाली सेवा प्रदाता है।
2. नीलामी बोली दस्तावेज की आगे की शर्तों और नियमों के अनुसार तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता आर्सिल की वेबसाइट पर जाकर ऊपर उल्लिखित लिंक से तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट से बोली दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।
3. बोलीदाता अपनी पसंद के कार्यालय/स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था प्रत्येक बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्राधिकृत अधिकारी/आर्सिल/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, बिजली विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
4. ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता श्री मेराज सईद, संपर्क नंबर: +91 9820485425 ईमेल आईडी: meraj.sayed@arcil.co.in / श्री सार्थक जिंदल +91 8630404604, ईमेल आईडी: sarthak.jindal@arcil.co.in से संपर्क कर सकते हैं।
5. सभी इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल www.arcil.co.in पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा पूर्वोक्त तिथि एवं समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नि:शुल्क यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
6. संपत्ति के निरीक्षण या अधिक जानकारी के लिए, संभावित बोलीदाता श्री सार्थक जिंदल/श्री मेराज सईद से उपर्युक्त पते और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।
7. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है।
8. सफल क्रेता/बोलीदाता को किसी भी वैधानिक कराया, कर, देय शुल्क, खरीद मूल्य पर लागू जीएसटी, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा, जो लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को उसके पक्ष में हस्तांतरित/विक्रित करने के लिए भुगतान किया जाना आवश्यक है।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई सुरक्षित संपत्ति का भौगोलिक और वैधानिक कब्जाए आदि यदि सुरक्षित संपत्तियों को प्रभावित करने वाले दायों/अधिकारों/कब्जाओं के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच/उचित परिश्रम करना चाहिए। नीलामी विज्ञापन आर्सिल की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही करेगा। आर्सिल का अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दायों/अधिकारों/कब्जाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
10. समाचार पत्रों में प्रकाशित नीलामी नोटिस में निर्दिष्ट विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता की जानकारी के अनुसार बताए गए हैं; तथापि नीचे हस्ताक्षरकर्ता किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
11. किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप/आदेश के कारण बाद में विक्रय की स्थिति में, उचित कानूनी राय और एआरसीआईएल के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय को छोड़कर, यदि बिक्री को रद्द करना आवश्यक है, तो आर्सिल केवल "ईएमडी" और/या बिक्री आय की बिना ब्याज के और खरीदार/बोलीदाता को वापस कर देगा। खरीदार/बोलीदाता को नुकसान, क्षति, लागत/व्यय, ब्याज के अवसर की हानि आदि के संबंध में आर्सिल या उसके अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री नोटिस को उपर्युक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में मानेंगे।
13. यदि किसी भी कारण से ऊपर निर्धारित नीलामी विफल हो जाती है, तो आर्सिल को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) और सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचने का अधिकार है।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 14-11-2024
एसडी/-
अधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
आर्सिल-एसबीपीएस-I ट्रस्ट के ट्रस्टी